चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक अन्य (1), शीर्ष न्यायालय ने अब यह अभिनिर्धारित किया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश किसी न्यायालय द्वारा केवल यह दर्शाते हुए रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि इसे पारित करते समय असंबद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था, और वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकती है जो केवल इस आधार पर अनुमेय *है जैसे* कि आदेश दुर्भावनापूर्ण रूप से पारित किया गया है या कोई सबूत नहीं है या यह इस अर्थ में मनमाना है कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा अर्थात यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है।केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता के पास कुछ प्रकाशन हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने आप में आदेश संलग्नक पी-1 में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो स्पष्ट रूप से पिछले दस वर्षों के दौरान याचिकाकर्ता के काम और आचरण के समग्र मूल्यांकन पर पारित किया गया है।इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम इसे सीमित रूप से खारिज करते हैं।लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आरएनआर

माननीय एस. एस. सोधी *और आर. एस. मौंगिया, जे. जे. के सामने*

राज कुमार शर्मा,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और-उत्तरदाता।

1992 का आवेदन सं. *172* समीक्षा के लिये।

1991 के सी. *डब्ल्यू.* पी. 12740 में।

भारत का संविधान, 1950- अधिनियम ।226/227—नकली *प्रमाणपत्र* के *आधार पर दिया गया प्रवेश-मैंडमस ने पढ़ाई* जारी *रखने और पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति देने की मांग की-इस तरह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया।*

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने एक नकली प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया था, यह जानते हुए कि यह ऐसा है।इसलिए हम इस रिट याचिका को खारिज करने और एक हज़ार रुपये खर्चा लगाने के लिए विवश हैं।

(पैरा 3)

राम लाल गुप्ता, अधिवक्तायाचिकाकर्ता *के लिए।*

आर. सी. सेतिया, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा, *प्रतिवादीओं के लिए।*

(1) जे. टी. 1992 (2) एस. सी. आई

निर्णय

एस. एस. सोधी, जे.

(2) एक संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने के बाद, जो

1974 के बाद अस्तित्व में नहीं था, याचिकाकर्ता अब इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करता है ताकि वह अपना पाठ्यक्रम पूरा होने तक अपनी पढ़ाई जारी रख सके। यह प्रार्थना इस तर्क पर आधारित है कि इस दिशा मे न्यायिक मिसाले स्थपित हैं कि एक बार जब किसी छात्र को प्रवेश दिया जाता है और लगभग एक वर्ष तक अपनी पढ़ाई करने की अनुमति दी जाती है, तो उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(3) याचिकाकर्ता ने 1990 में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने का दावा किया और उसके आधार पर फार्मेसी में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया।उन्हें दिसंबर, 1990 में कॉलेज में भर्ती कराया गया था।बाद में अगस्त 1991 में जब राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा द्वारा याचिकाकर्ता की अनुमति-सह-प्रवेश पत्र प्राप्त किया गया, तो उस नकली प्रमाण पत्र का पता चला, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने प्रवेश प्राप्त किया था।1974 के बाद से ऐसा कोई विश्वविद्यालय या संस्थान अस्तित्व में नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता को दिए गए प्रवेश को रद्द कर दिया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता ने 1991 की सिविल रिट याचिका 12740 दायर की।

(4) इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि याचिकाकर्ता ने एक नकली प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया था, यह जानते हुए कि यह ऐसा है। इसलिए हम इस रिट याचिका को खारिज करने और एक हज़ार रुपये खर्चा लगाने के लिए विवश हैं।

(5) इस नकली प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को प्रवेश देने में जनता कॉलेज फॉर फार्मेसी, बुटाना के प्राचार्य के आचरण के संबंध में भी प्रतिकूल टिप्पणी की जानी चाहिए। उसकी ओर से घोर लापरवाही, यदि मिलीभगत नहीं है, तो एकदम स्पष्ट है ।परिणामस्वरूप हम निर्देश देते हैं कि इस आदेश की एक नकल निदेशक-सह-पंजीयक, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा को भेजी जाये यथाक्रम इस आशय का नोटिस संबंधित प्राचार्य की व्यक्तिगत फाइल पर रखा जाए।

आदेश

याचिकाकर्ता की ओर से एक नकली प्रमाण पत्र के आधार पर राहत पाने का एक स्पष्ट प्रयास इस रिट याचिका की अतिस्पष्ट विशेषता है।

"वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी" के नकली इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता ने जनता कॉलेज फॉर फार्मेसी, बुटाना में द्वितीय वर्ष के फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया।उन्होंने 1990 में इस परीक्षा को पास करने का दावा किया था।

राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा की ओर से दायर रिटर्न के अनुसार, "वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी" के रूप में जाना जाने वाला संस्थान दिसंबर 1974 में समाप्त हो गया।इस जवाब का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि दिसंबर 1974 में इस संस्थान का नाम बदलने के बाद भी अन्य उम्मीदवारों को इसी तरह के प्रमाण पत्र जारी किए जाते रहें।इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा मांगे गए स्थगन को मंजूरी दे दी गई।हालाँकि, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा परन्तु याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया गया था कि उसे दूसरे वर्ष की फार्मेसी परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए।इस रिट याचिका को 24 फरवरी, 1992 के आदेश द्वारा इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया थाः—

> "इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि याचिकाकर्ता ने एक नकली प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया था, यह जानते हुए कि यह ऐसा है।"

अब, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता न्यायिक मिसालो पर आश्रय करते हुए अपनी रिट याचिका को खारिज करने के आदेश की समीक्षा चाहता है।हालाँकि, यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी पूर्व निर्णय जिन पर आश्रय करने की कोशिश की गई थी, वे यहाँ के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग हैं।

वर्तमान जैसे मामले में जहां प्रवेश एक गैर-मौजूद संस्थान के प्रमाण पत्र पर आधारित है, याचिकाकर्ता की ओर से धोखाधड़ी और गलत काम करना एकदम स्पष्ट है।ऐसे याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत स्पष्ट रूप से अनुचित होगी।

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जिन पूर्व निर्णय पर आश्रय करने की मांग की गई थी, उनकी ओर मुड़ते *हुए, पहला* था *मेहंगा सिंह बनाम पंजाब राज्य और* अन्य (1)।याचिकाकर्ता ने वहां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे से बी. एस. ई. चिकित्सा प्रौद्योगिकी (प्रयोगशाला पाठ्यक्रम) में प्रवेश प्राप्त किया था। ।प्रवेश के लिए अपने आवेदन में उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, लेकिन साक्षात्कार के समय उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि वे 'रामदासिया' समुदाय से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। इस आधार पर

---

(1) 1989 (5) एस.एल.आर.62.

याचिकाकर्ता को प्रवेश दिया गया था और जब वह अपना पहला वर्ष पूरा कर चुका था और दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था, तब इस आधार पर उसका प्रवेश वापस लेने का आदेश पारित किया गया था कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं था।याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा न्यायसंगत आधार पर पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय इस ओर से इस तथ्य से प्रभावित है कि जिस प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता ने प्रवेश प्राप्त किया था वह वास्तविक था, भले ही उसमें जो कहा गया था वह गलत हो सकता है।

इसके *बाद, हनश* कुमार *बनाम गुरु नानक देव* विश्वविद्यालय (2), बिहार प्रदेश शिक्षा परिषद श्रीपालपुर, पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त संबंधित प्रवेश।याचिकाकर्ता ने इस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन किया और इसे कॉलेज द्वारा प्रदान किया गया और इसे एक मान्यता प्राप्त परीक्षा मानते हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश को भी मंजूरी दी गई।हालाँकि, बाद में यह पता चला कि वास्तव में इसे मान्यता प्रदान नही की गई थी। प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने तब इस आधार पर उनका प्रवेश रद्द कर दिया।जब याचिका दायर की गई, तो अदालत ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की उस परीक्षा का परिणाम घोषित करे जो उसने पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद ली थी।यहाँ फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि एक स्पष्ट निष्कर्ष था कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत निरूपण या धोखाधड़ी नहीं हुई थी।

अंत में, कमल *मसीह बनाम* गुन *नानक देव विश्वविद्यालय (3)* है, जो फिर से उसी बिहार प्रदेश शिक्षा परिषद और उसके आधार पर दिए गए प्रवेश से संबंधित है।यहां भी बाद में पता चला कि इसे मान्यता नहीं दी गई थी और याचिकाकर्ता को दिया गया प्रवेश परिणामस्वरूप रद्द कर दिया गया था।इस मामले में भी अदालत ने विश्वविद्यालय को उस परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जिसमें याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ था।यह राहत फिर से इस तथ्य पर आधारित है कि छात्र द्वारा तथ्यों को छिपाया या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था।

कमल मसीह के मामले (ऊपर) में किए गए एक अवलोकन *को उद्धृत करना* उचित होगा जो वास्तव में यहाँ प्रासंगिक हैः—

> "दूसरे शब्दों में, सिवाय इसके कि जहां उम्मीदवार की ओर से गलत प्रतिनिधित्व, तथ्यों को छिपाना, धोखाधड़ी या अन्य गलत काम किया गया है, एक बार प्रवेश दिया गया है, यहां तक कि

(2) 1990 (2) एस.एल.आर. 311.

(3) 1992 (1) एस.एल.आर. 617.

विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ योग्यता के आधार पर, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि उस स्तर पर, यह उम्मीदवार के लिए असमान होगा, जैसे कि जहां वह अपनी कोई गलती नहीं करेगा, जिससे एक वर्ष का नुकसान होगा।यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के बाध्यकारी पूर्व निर्णय के अनुरूप भी है।"

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा आवेदन में, दो रिट याचिकाओं का संदर्भ दिया गया था, जहां याचिकाकर्ता के अनुसार, इस न्यायालय ने जून 1990 में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाणपत्र को बरकरार रखा था।ये 1990 की सिविल रिट याचिका 1345 (श्रीमती. राज बाला *बनाम हरियाणा राज्य* और *अन्य) 13 फरवरी,* 1991 को निर्णय लिया और 1991 की सिविल रिट याचिका 5704 (ज्ञान चंद *बनाम हरियाणा राज्य और अन्य)।हालाँकि, इन रिट याचिकाओं* में पारित आदेशों को पढ़ने से यह साबित नहीं होता है। वास्तव में, इन प्रमाणपत्रों की वैधता के संबंध में कोई सवाल नहीं उठाया गया था।अतः उन्हें याचिकाकर्ता के मामले को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया जा सकता है।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि याचिकाकर्ता ने जिन सभी न्यायिक मिसालो पर भरोसा करने की मांग की थी, वहाँ कोई धोखाधड़ी, छिपाने या तथ्यों की गलत प्रस्तुति नहीं हुई थी, वर्तमान के विपरीत जहां धोखाधड़ी पर प्रवेश स्थापित किया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा कॉलेज पर दोषारोपण करने की मांग की गई थी।

इस प्रकार याचिकाकर्ता को राहत देने का कोई अवसर नहीं आता है।इस समीक्षा आवेदन को इसके परिणामस्वरूप 500 रुपय खर्चे के साथ खारिज कर दिया जाता है।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी

इससे पहले माननीय ए. एल. बहरी और एन. के. कपूर, जे. जे.

मेसर्स दीवान सिंह और कंपनी एंडानोथर-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1993 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 8186।

10 नवंबर, 1993।

भारत का संविधान।1950—अनुच्छेद 226-शराब *की* दुकानों *की* नीलामी-शराब *की दुकानों* पर *लाइसेंस शुल्क जमा न करना।हैंक हड़ताल के कारण नीलामी का* डार्ट-न्यायिक *समीक्षा-नीलामी की* शर्तों *के अनुसार गैर-जमा राशि के आसपास नीलामी को अलग* नहीं *रखा जा सकता है-याचिकाकर्ता सबसे अधिक बोली लगाने वाला नहीं है*